

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बैली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.- 01/2016, 29वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के कुल 206 (दो सौ छ) पदों पर नियुक्ति हेतु सुधार्य उम्मीदवारों (पुरुष एवं महिला) से ऑनलाइन आवेदन आमत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवेदन-पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। एस.एल.पी.(सी) सं.-10163-10165/2015, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अंतिम रूप से पारित न्यायादेश के फलाफल एवं उक्त संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार से प्राप्त होने वाली सूचना के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की सूचना बाद में दी जाएगी। निःशक्त उम्मीदवारों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

- २. शैक्षणिक योग्यता** :- बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक अध्यया समनुत्प परीक्षेतीर्ण। शैक्षणिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रधान, अध्यया विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित विज्ञान सत्र में उक्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- ३. उम्र सीमा** :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 210, दिनांक 06.01.2016 के आलोक में उम्मीदवारों की उम्र सीमा गणना हेतु कट-ऑफ-डेट दिनांक 01.08.2012 को 22 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उक्त तिथि को उम्र 22 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- ४. (क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-4923, दिनांक 08.05.2008 के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे, जो निम्नांकित होंगे :-**

क्र.सं.	पत्र	विषय	पूर्णांक
1.	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2.	द्वितीय पत्र	विधि	150

प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पों पर आधारित होंगा, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। इस परीक्षा में ऑ.एम.आर. (OMR) उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा एवं इसकी जाँच कम्प्यूटर से आयोग कार्यालय में की जायेगी। उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की पाठ्यक्रम सूची वही होगी, जो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के प्रश्न पत्रों के लिए विहित है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के विषय निम्नांकित हैं:-

१. सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)
२. प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)
३. साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)
४. भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)
५. हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)
६. संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि-विशेष और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित
७. संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)
८. वाणिज्य विधि (Commercial Law)

प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या का दस प्रतिशत, 100 के निकटतम गुणन में परिवर्तन करते हुए पत्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जायेगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अन्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अहंता प्राप्त होंगे।

परन्तु सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के सिवाय आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की संख्या, सुसंगत अधिनियम के अधीन राज्य सरकार की सेवाओं में उनके लिए नियत प्रतिशत के मुकाबले प्रारम्भिक जाँच में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या कम हो तो उन कोटियों से उतने अभ्यर्थियों को, कम होने की सीमा तक, अंतिरिक्त रूप से, मेघा के आधार पर लिखित परीक्षा लेने हेतु सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

- (ख) चयन का आधार :- नियुक्ति हेतु चयन, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

लिखित मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है:-

परीक्षा के अनिवार्य विषय-

विषय	विषय कोड	पूर्णांक
१. सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)	01	150
२. प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)	02	100
३. सामान्य हिन्दी (General Hindi)	03	100
४. सामान्य अंग्रेजी (General English)	04	100
५. साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	05	150

सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यताप्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेघा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

परीक्षा के ऐच्छिक विषय-

उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किसी तीन विषय को चुनने का विकल्प होगा :-

विषय	विषय कोड	पूर्णांक
६. भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)	06	150
७. हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)	07	150
८. संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि-विशेष और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित	08	150
९. संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)	09	150
१०. वाणिज्य विधि (Commercial Law)	10	150

उपर्युक्त अंकित सभी विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

- (नोट) :- न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-9308, दिनांक 26.06.2015 के आलोक में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

- (ग) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-16645, दिनांक 03.12.2014 के आलोक में मौखिक (साक्षात्कार) परीक्षा के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35 प्रतिशत होगा। (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेघा सूची तैयार की जायेगी)

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-8390, दिनांक 26.08.2010 के आलोक में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है, तो उस अवधि के लिए संदर्भ प्रशिक्षण का खर्च एवं परिलक्षित उससे वसूलनीय होंगी।

परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश

५. आरक्षण:

- (i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अन्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। इसके लिए स्थायी निवास प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

- (ii) (A) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :—
- जाति प्रमाण-पत्र
 - स्थायी निवास (डोमेस्टिक) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :—
- जाति प्रमाण-पत्र
 - स्थायी निवास (डोमेस्टिक) प्रमाण-पत्र
 - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मात्र होगा। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (C) विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (D) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144, दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (iii) उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6. शुल्क:

केवल विहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 150/- (एक सौ पचास) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 200/- (दो सौ) रुपये तथा विहार राज्य के अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 600/- (छ: सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 650/- (छ: सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। अन्यर्थी विशेष का चालान ऑनलाइन आवेदन में लॉगइन (Login) के बाद उपलब्ध होगा, जिसे अन्यर्थी डाउनलोड करेंगे एवं शुल्क जमा करेंगे। उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश:

- दिनांक 22.01.2016 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। ऑनलाइन पंजीकरण एवं बैंक चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 05.02.2016 होगी। बैंक में चालान जमा करने की अंतिम तिथि 12.02.2016 को बैंकिंग आवर तक होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22.02.2016 होगी।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेबसाइट www.bpscbih.nic.in पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अन्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करेंगे। आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- उम्मीदवार अपने हाल का खिंचा हुआ एक फोटोग्रॉफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित बॉक्स में अपलोड करेंगे।
- अन्यर्थी ऑनलाइन से भरे गए A4 Size के पेपर पर आवेदन पत्र को प्रिन्ट कर सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं बैंक चालान की प्रति संलग्न कर स्पीड पोस्ट/निर्बंधित डाक से इस प्रकार भेजेंगे कि वह आयोग कार्यालय में बुधवार, दिनांक 02.03.2016 को संध्या 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाए। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी अनुलग्नक के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवहार के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अन्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

8. अन्य:

अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

- योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र की मात्र होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (22.02.2016) के पूर्व का होना आवश्यक है।
- इस सूचना एवं ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अन्यर्थीयों की अहंता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

11. लिफाफा एवं प्रमाण-पत्र:

- विहित आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित (स्वअभिप्रमाणित) हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में अनिवार्यतः क्रमवार संलग्न करेंगे—
- मैट्रिक का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के लिए);
 - इटर का प्रमाण पत्र;
 - स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र;
 - विधि स्नातक उर्तीणता प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र;
 - बार काराउसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त विधि स्नातक का प्रमाण-पत्र;
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र;
 - निःशक्त उम्मीदवारों के लिए दिक्किसा पर्षद द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण-पत्र;
 - बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति;
 - आवेदन के साथ उम्मीदवार को आवरण प्रमाण-पत्र उस संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय का संलग्न करना होगा जहाँ उम्मीदवार अंतिम रूप से अध्ययनरत रहे हों;
 - वैवाहिक स्थिति के संबंध में एक से अधिक जीवित पत्नी होने की दशा में इसके औचित्य के कारणों का उल्लेख अवश्य करें;
 - उम्मीदवार का स्वास्थ्य, शरीर-रचना, आदत एवं चरित्र न्यायिक सेवा के दायित्वों की पूर्ति के लिए उपर्युक्त हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
 - संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे;
 - सभी आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
12. जिस लिफाफा में आवेदन पत्र भेजेंगे, उस लिफाफा के ऊपर आवेदक को E-mail ID पर प्राप्त पता पर्ची (Address Slip) प्रेषक का पर्ची (Slip) विपका कर सभी अनुलग्नकों के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

१५/१६